

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-443) अलेसे-1/ 259

दिनांक:- 21-5-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 101 दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री सतीश चन्द शर्मा (लिंक नम्बर 3825), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण आयुक्त, (जिला योजना) पंचायती राज विभाग, जयपुर से संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर में किया गया था, तत्पश्चात् विभागीय आदेश क्रमांक 199/2017-18 दिनांक 01.11.2017 से संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर (स्थानान्तरणाधीन) से वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर में किया गया था, किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा द्वारा आदिनांक तक आयुक्त, (जिला योजना) पंचायती राज विभाग, जयपुर से कार्यमुक्त होकर वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 21-5-18 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-443) अलेसे-1/ 259

दिनांक:- 21-5-18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. आयुक्त, (जिला योजना) पंचायती राज विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्म को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर (स्थानान्तरणाधीन)।
3. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर।
4. श्री सतीश चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-आयुक्त, (जिला योजना) पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(अरविन्द धन)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)